नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 283
दि. 14.02.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, सपा को पूजना है तो पूजे', अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता और मर्यादा का पालन जरूरी है. साथ ही उन्होंने वाराणसी लाठीचार्ज और एफआईआर पर सवाल उठाए. योगी ने कहा कि साढ़े चार करोड़ श्रद्धालुओं के बीच एग्जिट गेट से अंदर जाने की कोशिश भगदड़ करा सकती है. सरकार कानून व्यवस्था में विश्वास रखती है.

कहा कि स्नान के बाद श्रद्धालु जिस एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे हों, उसी मार्ग से किसी को अंदर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता और कोई भी हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर वातावरण खराब नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि मर्यादाओं का पालन सभी को करना होगा. मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर वह शंकराचार्य थे तो वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों किया गया था और एफआईआर क्यों दर्ज हुई थी. उन्होंने कहा कि नैतिकता की बात करने वालों को पहले अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए.

सीएम योगी ने कहा कि जहां साढ़े चार करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हों, वहां व्यवस्था और सुरक्षा सर्वोपरि है. साथ ही उन्होंने बताया कि स्नान के बाद श्रद्धालु जिस एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे हों, उसी मार्ग से किसी को अंदर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि इस तरह का कदम एक नई भगदड़ को जन्म दे सकता है और श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकता है.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर सपा के लोग किसी को पूजना चाहते हैं तो पूजें, लेकिन सरकार मर्यादित लोगों की है और कानून के शासन पर विश्वास करती है. उन्होंने साफ किया कि व्यवस्था बनाए रखना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है.

वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला. उन्होंने मुख्यमंत्री को नकली योगी बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा कम्युनल, अन-डेमोक्रेटिक और अनसिविलाइज्ड हैं. अखिलेश ने कानपुर को बदनाम किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार बुलडोजर से डराती रही है. इसके अलावा उन्होंने शंकराचार्य और त्रिवेणी से जुड़ी घटनाओं का भी जिक्र किया और दावा किया कि सरकार सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई है और make in india भी जंग खा रहा है.

साढ़े चार करोड़ श्रद्धालुओं के बीच मर्यादा जरूरी, योगी की चेतावनी

बता दें कि प्रयागराज के संगम तट पर मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने करीब 200 समर्थकों के साथ रथ और पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए निकले थे. यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब पुलिस ने भारी भीड़ का हवाला देते हुए उन्हें बैरियर पर रोक दिया था. बावजूद इसके शंकराचार्य के समर्थकों ने बैरियर तोड़ दिए और भीड़ के बीच रथ आगे ले जाने लगे. इससे करीब तीन घंटे तक मौके पर अव्यवस्था की स्थिति बनी रही थी. इस घटना के बाद शंकराचार्य का आरोप लगाया था कि कि प्रशासन ने जानबूझकर उनके समर्थकों पर कार्रवाई की, हमला किया और उन्हें गिरफ्तार किया.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान 'सरकार का विजन' साझा किया

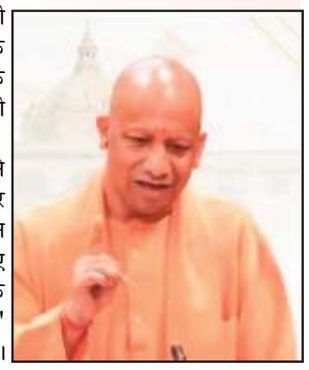

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज विधानसभा के बजट सत्र (वित्तीय वर्ष 2026-27) के पांचवें कार्यदिवस पर सदन की कार्यवाही में सम्मिलित हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान 'सरकार का विजन' साझा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के 'विकास के संकल्प' और 'सुशासन की प्रतिबद्धता' को सदन के समक्ष पुनः रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 व 2 के उद्घाटन के अवसर पर समारोह को संबोधित किया

भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का निर्माण किया गया है: प्रधानमंत्री

विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए यह अनिवार्य है कि भारत औपनिवेशिक मानसिकता के हर अंश को त्याग दे: प्रधानमंत्री

रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग करना केवल नाम का परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह सत्ता की मानसिकता को सेवा के भाव में बदलने का एक प्रयास था: प्रधानमंत्री

नए प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ का नाम दिया गया है; सेवा, या सेवा का भाव, भारत की आत्मा है, यही भारत की पहचान है: प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 एवं 2 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सभी एक नए इतिहास के निर्माण के साक्षी बन रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि विक्रम संवत 2082, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी, 24 माघ, शक संवत 1947, जो वर्तमान कैलेंडर के अनुसार 13 फरवरी 2026 है, यह दिन भारत की विकास यात्रा में एक नई शुरूआत का गवाह बना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शास्त्रों में विजया एकादशी का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इस दिन लिया गया संकल्प सदैव विजय की ओर ले जाता है। श्री मोदी ने कहा कि आज विकसित भारत के संकल्प के साथ, हम सभी सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस लक्ष्य में विजय प्राप्त करने के लिए दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ और इन नए भवनों के लिए पीएमओ टीम, कैबिनेट सचिवालय और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों सहित सभी को बधाई दी। उन्होंने इनके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियरों और श्रमिक साथियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय और नीतियां साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसे भवनों से बनाई गईं। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि इन इमारतों का निर्माण ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीकों के रूप में किया गया था, जिनका उद्देश्य भारत को सदियों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रखना था।

प्रधानमंत्री ने तारिक रहमान को बधाई दी; द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की उल्लेखनीय जीत

पर पार्टी के नेता श्री तारिक रहमान से बात की और उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने बातचीत में, बांग्लादेश के लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के प्रयास में श्री रहमान को अपनी शुभकामनाएं और समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश घनिष्ठ पड़ोसी देश हैं और उनके गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले- हर एफटीए और समझौता राष्ट्रहित में

हमारी प्रमुख फसलें, डेयरी और पोल्ट्री पूरी तरह संरक्षित- श्री शिवराज सिंह

विपक्ष ने झूठ की दुकान खोल रखी है, अफवाहों का बाजार फैलाते हैं- श्री चौहान

कृषक के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से बोले शिवराज सिंह- आप केवल डिग्रीधारी नहीं, भविष्य के कृषि-नेता हैं

जिंदगी केवल मौज-मस्ती के लिए नहीं, उद्देश्यपूर्ण जीवन और बड़े लक्ष्य के लिए है- श्री शिवराज सिंह चौहान

(जीएनएस)। हितों पर चोट करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ संदेश दिया कि भारत की हर ट्रेड डील

और ऋअ में न तो खेत बिके हैं, न किसान, बल्कि देश की कृषि की रीढ़ को और मजबूत किया गया है। उन्होंने दो टूक कहा कि जो लोग किसानों के नाम पर भय और अफवाह का कारोबार चला रहे हैं, उनकी सारी कथित राजनीति झूठ के सहारे खड़ी है, जबकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के किसानों के हित ह्पूरी तरह सुरक्षितह्व हैं और रहेंगे।

ट्रेड डील में किसानों का हित सर्वोपरि

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली के 64वें दीक्षांत समारोह में अपने उद्बोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल के सभी मुक्त व्यापार समझौतों (ऋअ) और अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर उठाए जा रहे सवालों पर स्पष्ट, तथ्यात्मक और सख्त राजनीतिक जवाब दिया।

केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने सोनीपत स्टार्टअप समिट 4.0 में भाग लिया, उन्होंने डीप-टेक, नवाचार और युवा नेतृत्व वाले औद्योगिक विकास के महत्व पर प्रकाश डाला

श्रीमती खडसे ने केंद्रीय बजट 2026 में खेल सामग्री विनिर्माण संबंधी प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले अवसरों पर प्रकाश डाला

(जीएनएस)।

युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे ने आईआईटी दिल्ली टेक्नोपार्क में आयोजित सोनीपत स्टार्टअप समिट 4.0 में भाग लिया और नवाचार आधारित विकास तथा युवा-संचालित औद्योगिक परिवर्तन के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

श्रीमती खडसे ने नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, छात्रों और उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अनुसंधान, पूंजी निवेश और वैश्विक विस्तार क्षमता से प्रेरित एक निर्णायक गहन प्रौद्योगिकी चरण में प्रवेश कर रहा है। "उद्योग त्वरण संस्करण" विषय पर आधारित इस शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप्स, एमएसएमई, शोधकताओं, कॉरपोरेट्स और सरकारी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाया गया ताकि प्रौद्योगिकी आधारित उद्यम विकास को गति दी जा सके।

श्रीमती खडसे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप आत्मनिर्भर और नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रही है।

उन्होंने बताया कि यह शिखर सम्मेलन रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, रक्षा प्रौद्योगिकी और कृषि प्रौद्योगिकी सहित उभरते क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के लिए एक लॉन्चपैड के रूप में कार्य करता है। हरियाणा एनसीआर औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत द्वितीय और तृतीय श्रेणी के क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे क्षेत्रीय उद्यमिता राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जुड़ सके।

सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे अनुकूल वातावरण पर श्रीमती खडसे ने कहा कि नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन, स्टार्टअप इंडिया और सार्वजनिक-निजी त्वरण मंच जैसी पहलों के माध्यम से 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता, इनक्यूबेशन सुविधाएं, मार्गदर्शन और बाजार संपर्क प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बजट 2026 ने अनुसंधान एवं विकास, गहन तकनीकी नवाचार, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए विस्तारित ऋण गारंटी और हरित विकास पहलों के लिए समर्थन को और मजबूत किया है।

प्रमुख इनक्यूबेशन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थानों और वैश्विक कंपनियों द्वारा समर्थित इस शिखर सम्मेलन ने सार्वजनिक-निजी सहयोग का एक सशक्त मॉडल प्रदर्शित किया। यह युवा उद्यमियों को बौद्धिक संपदा, वित्तपोषण मार्ग, नियामक ढांचे और उत्पाद-बाजार सत्यापन पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

श्रीमती खड़से ने खेल विज्ञान और विनिर्माण नवाचार के बढ़ते अभिसरण पर कहा कि खेल विश्लेषण, पहनने योग्य तकनीक, बायोमैकेनिक्स, रिकवरी विज्ञान और एआई-संचालित प्रदर्शन निगरानी जैसे क्षेत्र भारत में खेल-केंद्रित स्टार्टअप के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं।

सरकार की युवा सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए श्रीमती खडसे ने कहा कि भारत के युवा नवप्रवर्तक न केवल स्टार्टअप बना रहे हैं बल्कि औद्योगिक क्षमता को मजबूत कर रहे हैं, तकनीकी स्वतंत्रता को बढ़ा रहे हैं

एनसीएलटी के अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रामलिंगम सुधाकर अपने पद से कार्यमुक्त हुए

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रामलिंगम सुधाकर ने आज, 13 फरवरी 2026 को न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में एक विशिष्ट कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने पद से कार्यमुक्त हो गए। उन्होंने नवंबर 2021 में न्यायाधिकरण में कार्यभार संभाला था। अपने चार वर्षों से अधिक के कार्यकाल के दौरान, अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर ने संस्था को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ किया और कॉरपोरेट तथा दिवालियापन मामलों में न्याय प्रदान करने में सार्थक योगदान दिया। उनका नेतृत्व परिश्रम, सत्यनिष्ठा और न्यायिक उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से चिह्नित था। न्यायाधिकरण के सदस्यों और एनसीएलटी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में उनके सम्मान में आयोजित विदाई समारोह में बोलते हुए, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी हितधारकों के सामूहिक सहयोग के कारण मामलों के निपटारे की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय कार्यक्रम ने ब्रिक्स देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया, एक विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन

(जीएनएस)।

विदेश मंत्रालय ने वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के सहयोग से, भारत की अध्यक्षता में 9-10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शेरपाओं और सूस शेरपाओं की पहली बैठक का सफल समापन करने के बाद, 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी (एवसीएम एवं एचकेए) में ब्रिक्स शेरपाओं और सूस शेरपाओं के लिए एक विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्पकला तथा कला, संगीत एवं व्यंजन सहित जीवंत परंपराओं को प्रदर्शित करना था।

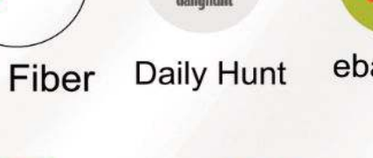

इस अवसर पर ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इंडोनेशिया के शेरपाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के राजदूतों और लगभग 30 विदेशी प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

भारत के ब्रिक्स शेरपा (आर्थिक संबंध सचिव) ने भारत के ब्रिक्स सूस शेरपा (बहुपक्षीय आर्थिक संबंध संयुक्त सचिव) के सहयोग से इस कार्यक्रम की मेजबानी की। प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य मंत्रालय, डीपीआईआईटी और राजस्व विभाग के सचिव, विदेश मंत्रालय के 30 अधिकारी और राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय के अधिकारी भी शामिल थे।+

स्वयंसेवी गाइडों द्वारा प्रतिनिधियों को संग्रहालय की दीघाओं का भ्रमण कराया गया। इस भ्रमण के दौरान, उन्हें भारत के विविध शिल्पों, लोक कलाओं एवं पारंपरिक प्रथाओं से अवगत कराया गया।

प्रधानमंत्री ने 'नागरिकदेवो भव' की भावना से प्रेरित होकर 'सेवा तीर्थ' राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'सेवा तीर्थ' कर्तव्य, करुणा और 'इंडिया फर्स्ट' (भारत प्रथम) के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में खड़ा होगा

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत की जनता की सेवा करने के अपने अटूट संकल्प को दोहराते हुए और 'नागरिकदेवो भव' की पावन भावना को इसकी मार्गदर्शक शक्ति के रूप में रेखांकित करते हुए, 'सेवा तीर्थ' राष्ट्र को समर्पित किया।

श्री मोदी ने कही कि सेवा तीर्थ का समर्पण जनसेवा और नागरिकों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'सेवा तीर्थ' कर्तव्य, करुणा और 'इंडिया फर्स्ट' (भारत प्रथम) के सिद्धांत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के एक उज्ज्वल और शक्तिशाली प्रतीक के रूप में विद्यमान है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह आने वाली पीढ़ियों को निस्वार्थ सेवा और सभी के कल्याण के प्रति अथक समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए

प्रेरित करेगा और हर नागरिक की भलाई के लिए समर्पण भाव से आगे बढ़ने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:

"भारत की जनता की सेवा करने के अटूट संकल्प के साथ और नागरिकदेवो भव की पावन भावना से प्रेरित होकर, सेवा तीर्थ राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला।

मेरी कामना है कि सेवा तीर्थ सदैव प्रेरित करेगा और हर नागरिक को कर्तव्य, करुणा और 'इंडिया फर्स्ट' (भारत प्रथम) के सिद्धांत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के एक उज्ज्वल प्रतीक के रूप में अडिग रहे।

यह आने वाली पीढ़ियों को निस्वार्थ सेवा और सर्व-कल्याण के प्रति अथक समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहे।"

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव के मद्देनजर सीहोर रेलवे स्टेशन पर व्यापक भीड़ प्रबंधन व्यवस्था

रतलाम 13 फरवरी। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल द्वारा सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान संभावित अतिरिक्त यात्री भीड़ को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से समायोजित करने के लिए सीहोर रेलवे स्टेशन पर व्यापक स्तर पर विशेष तैयारियां की गई हैं।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 14 से 20 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस आयोजन को ध्यान में रखते हुए रतलाम रेल मंडल प्रशासन द्वारा सीहोर स्टेशन बहुआयामी कार्ययोजना लागू की गई है। इसके दिए सुरक्षा, संरक्षा, यात्री सुविधा, ट्रेन परिचालन आदि जैसे सभी आधारभुत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव एवं विशेष रेल सेवाएं

महोत्सव अवधि के दौरान 13 से 22 फरवरी 2026 तक सीहोर स्टेशन पर 21 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त उज्जैन से सीहोर/भोपाल के मध्य 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। यात्री भार को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की भी योजना तैयार रखी गई है।

प्लेटफार्म एवं आवागमन व्यवस्था में विशेष परिवर्तन

भीड़ नियंत्रण के दृष्टिगत मेला अवधि के दौरान सीहोर स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल (ऋद्धइ) से आवागमन अस्थायी रूप से बंद रखा गया है।

भोपाल की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें प्लेटफार्म संख्या 2 से संचालित होंगी।

उज्जैन की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें प्लेटफार्म संख्या 1 से संचालित होंगी।

भोपाल की ओर जाने वाले यात्रियों को भोपाल एंड स्थित अंडरपास से सीधे प्लेटफार्म 2 पर प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि उज्जैन की ओर जाने वाले यात्री प्लेटफार्म 1 की ओर से सीधे प्लेटफार्म 1 पर पहुंचेंगे। किस प्लेटफार्म से कौन-सी ट्रेन जाएगी, इसकी नियमित उद्घोषणा की जा रही है।

क्राउड होल्डिंग एरिया एवं बैरीकेडिंग

स्टेशन परिसर में विशेष ' क्राउड होल्डिंग एरिया ' बनाया गया है, जहां यात्रियों को ट्रेन आगमन से पूर्व रोका जाएगा तथा ट्रेन आने पर ही प्लेटफार्म पर प्रवेश दिया जाएगा, जिससे प्लेटफार्म पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो। प्लेटफार्म एवं स्टेशन परिसर में व्यापक बैरीकेडिंग की गई है तथा प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं।

सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था

भीड़ प्रबंधन हेतु फ्ढऋएवं ऋफ्ढ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। सभी प्रवेश एवं निकास द्वारों पर सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए गए हैं। स्टेशन परिसर में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग मंडल कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी की जा सकेगी।

मेला अवधि में रतलाम मंडल की सिविल डिफेंस टीम को भी सक्रिय रूप से शामिल किया गया है, जिन्हें किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है। किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए चिकित्सा सुविधा की भी समुचित व्यवस्था की गई है।

यात्री सुविधाओं का विशेष प्रबंध

यात्रियों की सुविधा हेतु स्टेशन पर पीने के पानी, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, नियमित साफ-सफाई, डस्टबिन आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्लेटफार्म संख्या 1 एवं 2 की ओर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए हैं। टिकट जांच एवं अतिरिक्त टिकट निर्गमन के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है।

रेलवे द्वारा स्टेशन क्षेत्र के साथ-साथ मेला क्षेत्र में भी दिशा-सूचक बैनर लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा हो।

मंडल रेल प्रबंधक द्वारा निरीक्षण

रतलाम मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री अश्वनी कुमार ने 13 फरवरी को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीहोर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर, की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ह्लभीड़ प्रबंधन के लिए मंडल द्वारा व्यापक और सुविचारित तैयारी की गई है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है ह्व

समन्वित प्रयास

रतलाम मंडल द्वारा वाणिज्य, परिचालन, सुरक्षा, विद्युत, यांत्रिक, इंजीनियरिंग सहित सभी विभागों के समन्वित प्रयास से मेला अवधि पूर्व ही तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थीं। स्थानीय प्रशासन के साथ नियमित समन्वय स्थापित कर सभी व्यवस्थाओं से उन्हें अवगत कराया गया है।

पश्चिम रेलवे का रतलाम मंडल रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान यात्रियों के सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित आवागमन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

जनसंपर्क विभाग
पश्चिम रेलवे, रतलाम मंडल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के नागरिकों के लिए 28 नई इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण किया

मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्थान कराई गईं नई 28 ई-बसें साइबर सिक्योरिटी तथा फायर सेफ्टी सिस्टम से सज्ज

बहुत ही कम समय में पूर्ण हुए ई-बस प्रोजेक्ट से एएमटीएस के बेड़े में ग्रीन मोबिलिटी का नया अध्याय शुरू

गांधीनगर, 13 फरवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद महानगर पालिका (मनपा) की जीवनडोर समान अहमदाबाद महानगर पालिका परिवहन सेवा (एएमटीएस) के बेड़े में 28 नई अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का शुक्रवार को लोकार्पण किया।

एएमटीएस में समय-समय पर कुल 225 नई ई-बसों को जोड़ा जाना है और इसके साथ ही नगरजनों को अधिक सुविधाजनक एवं ग्रीन परिवहन प्राप्त होगा। इन 225 ई-बसों के संचालन से प्रतिवर्ष लगभग 75000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी।

यह प्रोजेक्ट देश के सबसे तेज क्रियान्वयन वाले प्रोजेक्ट्स में एक है, जिसमें पूरी निविदा प्रक्रिया केवल 6 महीनों में पूरी कर केवल 3 महीनों में बसों की डिलीवरी सुनिश्चित की गई है।

यात्रियों की सुरक्षा के मामले में ये बसें देश में अद्वितीय हैं। देश में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों में अनिवार्य साइबर सिक्योरिटी तथा सेफ्टी ऑडिट को लागू किया गया है। इसके अलावा, हर बस में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम (एफडीएसएस) कार्यरत कर यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है।

इस अवसर पर शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, महापौर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, उप महापौर श्री जतिन पटेल, स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री देवांगभाई दाणी, शासक पक्ष के नेता श्री गौरांगभाई प्रजापति, सचेतक श्रीमती शीतल डागा, मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि, स्थानीय विधायक, एएमटीएस अध्यक्ष श्री धरमशीभाई देसाई, मनपा एवं एएमटीएस के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

यूजीसी के नए नियमों के विरोध में 11 पदाधिकारियों ने छोड़ी बीजेपी, बोले- उद्देश्य से भटक गई पार्टी

लखनऊः (जीएनएस)। लखनऊ में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी छोड़ी है. साथ ही यह भी कहा है कि पार्टी उद्देश्य से भटक गई है.

यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के 11 पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी छोड़ी है. लखनऊ में एक साथ बीजेपी 11 पदाधिकारियों के पार्टी छोड़ने से सियासी गलियारों में चचाओं का बाजार गर्म हो गया.

जानकारी के मुताबिक, यूजीसी के नए नियमों के विरोध में लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के 11 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दिया है. पार्टी से इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों ने यह भी कहा है कि वह अब पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे. पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस उद्देश्य से पार्टी का निर्माण

किया गया था, पार्टी उस उद्देश्य से भटक गई है.

सवर्ण बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़

यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बीजेपी छोड़ने वाले पदाधिकारी बख्शी तालाब के कुम्हारवां मंडल महामंत्री अंकित तिवारी ने कहा है कि यह कानून लागू करके हमारे सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि वह अपने समस्त पदों से इस्तीफा देते हैं.

बीजेपी से इन पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा

जानकारी के मुताबिक, यूजीसी के विरोध में मंडल उपाध्यक्ष आलोक सिंह, मंडल मंत्री महावीर सिंह, शक्ति केंद्र संयोजक मोहित मिश्रा, शक्ति केंद्र संयोक वेद प्रकाश सिंह, शक्ति केंद्र संयोजक नीरज पांडेय, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनूप सिंह, युवा मोर्चा मंडल महामंत्री राज विक्रम सिंह, पूर्व मंडल मंत्री अभिषेक अवस्थी, बूथ अध्यक्ष विवेक सिंह और पूर्व सेक्टर संयोजक कमल सिंह का नाम इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों में शामिल है.

इस्तीफे में क्या कहा?

पार्टी से इस्तीफा अंकित तिवारी ने कहा कि, "मैं अपने समस्त पदों से इस्तीफा देता हूं क्योंकि जो हमारे प्रेरणा स्त्रोत पंडित दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जिस उद्देश्य से पार्टी का निर्माण किया गया था, पार्टी उस उद्देश्य से भटक रही है. पार्टी के श्रेष्ठ पदाधिकारियों द्वारा यूजीसी कानून लागू करके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. इसी को देखते हुए मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूं"

लखनऊ में शिया समुदाय का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, ढट शहबाज शरीफ का जलाया फोटो, मामला जानिए

पाकिस्तान में शिया समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का फोटो जलाया और नारेबाजी की।

(जीएनएस)।

लखनऊः पाकिस्तान में शिया समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का फोटो जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। भीड़ ने पाकिस्तान मुदार्बाद और शिया अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाए।

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पाकिस्तान में शिया समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है वहां की सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। प्रदर्शन में प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना

कल्वे जवाद भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में पाकिस्तान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

मौलाना कल्वे जवाद ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत खुद दहशतगर्द ताकतों को संरक्षण देती है और वहां अल्पसंख्यकों, खासकर शिया मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत दहशतगर्द है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उसे आतंकी मुल्क घोषित करने पर विचार करना चाहिए। मौलाना कल्वे जवाद ने यह भी कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में मजहब के नाम पर हिंसा हो रही है, जो मानवता के लिए खतरा है। उन्होंने इजरायल सरकार पर भी तीखा हमला बोलते हुए उसे आतंकी हुकूमत करार दिया और कहा कि निर्दोष लोगों पर हो रहे हमलों की वैश्विक स्तर पर निंदा होनी चाहिए।

प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, हालांकि माहौल काफी गरमाया हुआ नजर आया। मौके पर स्थानीय पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शिया समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मांग की कि पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए और वहां हो रहे अत्याचारों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आगे और बड़े आंदोलन किए जाएंगे।

व्यापार और निवेश विधि केंद्र ने विश्व व्यापार संगठन अध्यक्षता कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरी अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की

(जीएनएस)।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के व्यापार और निवेश विधि केंद्र ने बेनेट विश्वविद्यालय के विधि संकाय के सहयोग से विश्व व्यापार संगठन अध्यक्षता कार्यक्रम के तहत 6 से 8 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में तीसरी सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ-बेनेट अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट (वास्तविक अदालती कार्यवाही का अनुकरण करने वाली काल्पनिक अदालत) प्रतियोगिता 2026 आयोजित की।

तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता ने विधि संकाय के विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिनियम और श्रम मानकों से संबंधित समकालीन मुद्दों के बारे में जानकारी के लिए अकादमिक मंच प्रदान किया। प्रतियोगिता में भारत और विदेशों के विश्वविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के विभिन्न दौर का मूल्यांकन विधि क्षेत्र, शिक्षा जगत और नीति संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञों ने किया।

इसमें औद्योगिक दुर्घटना और उसके बाद के नियामक घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप मुक्त व्यापार समझौते के तहत श्रम मानकों और व्यावसायिक सुरक्षा दायित्वों के कथित उल्लंघन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए संवैधानिक मूल्यों, न्यायिक तर्कशक्ति और विधि सम्मत शासन बनाए रखने में विधि संस्थानों की भूमिका पर बल दिया। बेनेट विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज सिंह ने नीति-उन्मुख विधि शिक्षा को बढ़ावा देने में विश्वविद्यालयों की भूमिका का उल्लेख किया। अन्य वक्ताओं ने क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन की समझ बढ़ाने में विश्व व्यापार संगठन के विधि संबंधी मुकदमों के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान अकादमिक प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए न्याय व्यवस्था सुदृढ़ बनाने में विधि शिक्षा की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों, न्यायिक निष्ठा और व्यावसायिक उत्तरदायित्व को रेखांकित किया। समापन सत्र में प्रतियोगिता परिणामों की घोषणा और अनुसंधान, पैरवी और समग्र प्रदर्शन में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए।

इस प्रतियोगिता ने अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कानून और वैश्विक आर्थिक शासन में उन्नत अध्ययन और व्यावहारिक भागीदारी को बढ़ावा देने में शैक्षणिक और नीतिगत संस्थानों की भूमिका दर्शाई।

पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफपीआई, पीएमएफएमई के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सतत और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पहलें

एकीकृत और अंतर-क्षेत्रीय शीत श्रृंखला नेटवर्क में चुनौतियाँ

(जीएनएस)।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को आपूर्ति श्रृंखला और संस्थागत बुनियादी ढांचे में कमियों, कृषि उपज की बबार्दी, प्रसंस्करण के निम्न स्तर, कृषि उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच कमजोर संबंधों और ऋण तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण (पीएमएफएमई) जैसी योजनाओं को देश भर में लागू करके इस क्षेत्र को सहयोग प्रदान करता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमकेएसवाई के तहत प्रति परियोजना 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके सौर, बायोमास और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग का समर्थन करता है। जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में टिकाऊ और प्रौद्योगिकी-संचालित

विकास को बढ़ावा मिलता है। मंत्रालय पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं को अनुदान सहायता और सब्सिडी जारी करने पर विचार करने के लिए एक शर्त के रूप में पर्यावरण और स्थिरता मानदंडों के सख्त अनुपालन को भी प्रोत्साहित करता है। इस संबंध में, यह मंत्रालय पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के परिचालन दिशानिर्देशों के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी से आग्रह करता है कि वह (८) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु परियोजना की वैध स्थापना सहमति (सीटीई) और संचालन सहमति (सीटीओ) प्रस्तुत करे और (८) ऊर्जा-कुशल शीत प्रणालियों को अपनाना जो गैर-ओजोन-क्षयकारी पदार्थों (नॉन-ओडीएस) और कम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (जीडब्ल्यूपी) वाले रेफ्रिजरेंट का उपयोग करते हैं ताकि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके, क्षेत्र के कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना (शीत श्रृंखला सहित) का विकास राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन उद्देश्यों के अनुरूप हो।

यूपीएफ को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने के उपाय किए गए

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण विज्ञान आधारित खाद्य मानक निर्धारित करेगा

खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए देश भर में नियमित निगरानी, निरीक्षण और बिना क्रम नमूने लिए जाते हैं

(जीएनएस)।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

खाद्य सुरक्षा एवं सेवा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने वसा, नमक और चीनी की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए 'आज से थोड़ा कम' नाम से जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आहार में बदलाव के माध्यम से धीरे-धीरे वसा, नमक और चीनी का सेवन कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

खाद्य सुरक्षा जागरूकता और स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए एफएसएसएआई ने देश भर में 'ईट राइट इंडिया' अभियान के तहत सोशल मीडिया पर "हर लेबल कुछ कहता है" नामक जागरूकता अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को

खाद्य लेबल की बेहतर समझ प्रदान करके उन्हें सोच-समझकर आहार संबंधी निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। खाद्य लेबल में उत्पाद के पोषण मूल्य, सामग्री और संभावित एलर्जी कारकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है, जिसमें पूर्व-पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की लेबलिंग से संबंधित व्यापक प्रावधान दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विद्यालयों में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन एवं संतुलित आहार) विनियम, 2020 को भी अधिसूचित किया गया है, जिसमें विद्यालय परिसर में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ विद्यालय परिसर के भीतर और आसपास संतुलित आहार को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय अधिकारियों की जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) देशभर के उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारी वर्ष भर विभिन्न खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और बिना क्रम नमूने लेते हैं ताकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों तथा अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच की जा सके।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह बात कही।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास पारित करना विपक्ष के लिए आसान नहीं

संसद में जहां विपक्ष अभी तक लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर ही चर्चा हो रही थी, वहीं अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशिष्ट प्रस्ताव लाने के लिए भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे ने बृहस्पतिवार को नोटिस दे दिया है। जहां विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाने का नोटिस लोकसभा के महासचिव को दिया और आरोप लगाया कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, वहीं विपक्ष के कई सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए वे सभी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं। विपक्ष का यह नोटिस सामान्य और स्वाभाविक लगता है किन्तु सत्तापक्ष के सदस्य निशिकांत दुबे की विशिष्ट प्रस्ताव के लिए दिया गया नोटिस अत्यन्त गंभीर परिस्थिति की तरफ संकेत है। कहने को तो यह नोटिस विशिष्ट प्रस्ताव के लिए है यानि यह विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके पीछे पाटा द्वारा नोटिस दी जाती है। किन्तु संदर्भ से यह स्पष्ट होता है कि भाजपा और कांग्रोस पाटा के बीच मतभेद इतने बढ़ चुके हैं कि अब दोनों एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह की संसदीय मर्यादा की परवाह करने को तैयार नहीं है। विपक्ष के नेता यानि लोकसभा के सदस्य को उसकी सदस्यता छीनने के लिए दी गईं है विशिष्ट प्रस्ताव का नोटिस। मजे की बात तो यह है कि लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित होते ही लोकसभा के सदस्य को अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ता है।

वास्तविकता तो यह है कि लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास पारित करना विपक्ष के लिए आसान नहीं है किन्तु यदि भाजपा ने रणनीति के तहत राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने का पैसला कर लिया तो सदन में सामान्य बहुमत जुटाना बिल्वुल मुश्किल नहीं है। भाजपा ने यदि यह पैसला कर ही लिया हो कि हम तो अपना यानि स्पीकर का देख लेंगे किन्तु तम्हें नहीं छोड़ेगा। और यह स्थिति राहुल और कांग्रोस दोनों के लिए ही घातक साबित होगी। इसी को कहते हैं 'आ बैल मुझे मार' जो कांग्रोस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया है।

यह तो सच है कि यदि लोकसभा में सामान्य बहुमत से निशिकांत दुबे का प्रस्ताव पारित हो गया तो लोकतंत्र के लिए अत्यन्त चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई निति रूप से लोकतंत्र के लिए संवेदनशील मानी जाती है।

मजे की बात तो यह है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए दिए गए नोटिस को ही रद्द कराने के लिए भाजपा सक्रिय हो गईं है। किन्तु राहुल पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि वैसे वह सोरोस फाउण्डेशन, फोर्ड फाउण्डेशन, यूएस एआईडी के साथ मिलकर थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम, अमेरिका जाते हैं और किस तरह भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले रहते हैं।

यह सच है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और अब लोकसभा तक को नहीं छोड़ा किन्तु यह भी सही है कि कांग्रोस पाटा में से कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने आकर सत्तापक्ष से बातचीत करके अविश्वास की खाई समाप्त करने की कोशिश करे। जब कांग्रोस में सत्ता में रहती थी तो दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के संसद भवन स्थित कक्ष में विपक्ष के ज्यादा सदस्यों को देखा जा सकता था क्योंकि वे हर गतिरोध को टालने के लिए सत्तापक्ष के सदस्यों को सहयोग देने का वादा करते थे। यही नहीं गतिरोध समाप्त करने का रास्ता निकालते थे। इसी तरह अटल जी की सरकार में दिवंगत माधव राव सिंधिया और प्रिय रंजन दास मुंशी सरकार के साथ व्यवधान खत्म करने का उपाय सुझाते थे। आज तो हालत यह है कि राजीतिक विरोध का स्थान व्यक्तिगत शत्रुता ने ले लिया है। परिणाम वुछ भी हो किन्तु छवि तो प्रभावित होगी

भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का समापन शिक्षा में एआई-संचालित परिवर्तन के साझा संकल्प के साथ संपन्न

(जीएनएस)।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित,भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026, आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन में भारत के शिक्षा तंत्र के एआई-संचालित परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

दूसरे दिन दो सत्र आयोजित किए गए:

दिन 2 – सत्र 1: शासन मंच और स्केलेबल एआई सिस्टम

आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में इस सत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि राज्य एआई-सक्षम प्लेटफार्मों का उपयोग करके निगरानी-आधारित शासन से हस्तक्षेप-आधारित शासन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। डैशबोर्ड वास्तविक समय में निर्णय लेने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं तथा एकीकृत छात्र-शिक्षक-विद्यालय प्रणालियाँ खंडित उपकरणों का स्थान ले रही हैं। चर्चा ने इस बात पर बल दिया कि एआई को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए स्वतंत्र समाधानों के बजाय राज्यव्यापी पारिस्थितिकी तंत्र प्लेटफार्मों की आवश्यकता होगी।

दिन 2 – सत्र 2: बहुभाषी एआई, शिक्षक सशक्तिकरण और अभ्यास-आधारित शिक्षण

आईआईएम मुंबई के निदेशक प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में इस सत्र में बहुभाषी एआई के समान राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग के लिए इसकी अनिवार्यता पर बल दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि एआई को एक समान डिजिटल टेम्पलेट्स को बढ़ावा देने के बजाय शिक्षकों की सक्रियता को मजबूत करना चाहिए और प्रासंगिक शिक्षण पद्धति का समर्थन करना चाहिए। अभ्यास-आधारित शिक्षण ढांचों से शिक्षार्थियों की सहभागिता में सुधार देखा गया और राज्यों ने शिक्षक सहायता, छात्र अधिगम और शासन के लिए एआई को एकीकृत करने वाले परिपक्व मॉडल प्रस्तुत किए।

चचाओं के दौरान, तीन मुख्य निष्कर्ष सामने आए:

भारत में शिक्षा में एआई के मजबूत समाधान पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए इन्हें व्यापक स्तर पर लागू करने की आवश्यकता

है।

शिक्षण परिणामों में सुधार लाने के लिए शिक्षक सहयोग सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

अगले चरण के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय मंच की आवश्यकता है।

इन सत्रों के बाद एक समीक्षा सत्र आयोजित किया गया जिसमें विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता सचिव श्री संजय कुमार और उच्च शिक्षा सचिव डॉ. विनीत जोशी ने भाग लिया। आईआईटी मद्रास के निदेशक, प्रोफेसर वी. कामाकोटी, एआई के क्षेत्र में काम कर रहे प्रमुख स्टार्टअप के अकादमिक नेता, शोधकर्ता और संस्थापक, शिक्षा विभाग ने भाग लिया। पिछले सत्रों के चारों वक्ताओं ने अपने-अपने तकनीकी सत्रों से प्राप्त मुख्य बिंदुओं और परिणामों को प्रस्तुत किया।

श्री संजय कुमार ने कहा कि पिछले ढाई दिनों की चर्चा अत्यंत उत्साहवर्धक रही। इसमें शिक्षा में एआई को एकीकृत करने के लिए अनुकूलित शिक्षण हस्तक्षेपों के माध्यम से वैयक्तिकरण के साथ-साथ व्यापकता को संयोजित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। उन्होंने रेखांकित किया कि समान पहुंच को केंद्र में रखते हुए ये नवाचार सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं, समावेशन को मजबूत कर सकते हैं और शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों को सशक्त बना सकते हैं। उन्होंने राज्यों, संस्थानों और संगठनों द्वारा देश भर में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों को दशार्या गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान, विकास और मजबूत संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर निवेश के साथ-साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तारित करने के लिए सहयोगी मंचों के निर्माण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक संप्रभु वृहद भाषा मॉडल जैसी रणनीतिक पहलों को आगे बढ़ाते हुए मातृभाषा में आनंददायक और सार्थक शिक्षा को बढ़ावा देने से भारत की भाषाई विविधता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को और मजबूती मिलेगी।

प्रोफेसर वी. कामाकोटी ने कहा कि भारत के पास मजबूत एआई समाधान हैं, लेकिन व्यापकता, समन्वय और अंतरसंचालनीयता में मुख्य जनादेश अभी भी बना हुआ है। । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई को समावेशिता को बढ़ावा देना चाहिए, भाषाई विविधता को संरक्षित करना चाहिए और विभाजन पैदा किए बिना सभी शिक्षार्थियों को सशक्त बनाना चाहिए।

भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 ने भारत के शिक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अभूतपूर्व प्रतिनिधियों को एक साथ लाया, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। 3,100 पंजीकरण, 2,000 छात्र , 600 से अधिक प्रतिनिधि और लगभग 120 प्रदर्शक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से प्रेरित नवाचारों का प्रदर्शन कर रहे थे। दो दिवसीय इस कार्यक्रम में नीति निमार्ता, राज्य सरकारें, शोधकर्ता, परोपकारी संस्थाएं और शिक्षा-तकनीक के नवप्रवर्तक एकत्रित हुए ताकि यह विचार किया जा सके कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूली शिक्षा को कैसे बदल सकती है—विशेष रूप से मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन), शिक्षक प्रभावशीलता, शासन दक्षता और बहुभाषी समावेशन के क्षेत्र में।

भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 ने नीति निमार्ताओं, शिक्षकों, प्रौद्योगिकी नेताओं और शैक्षणिक विशेषज्ञों को एक साथ लाने के लिए एक सहयोगात्मक मंच प्रदान किया ताकि शिक्षा में एआई-संचालित परिवर्तन पर विचार-विमर्श किया जा सके।

क्यूए-औद्योगिक सम्मेलन में डिजिटल बदलाव को रक्षा गुणवत्ता आश्वासन की भरोसेमंद और समयबद्ध नींव के तौर पर दिखाया गया

(जीएनएस)।

गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए)-औद्योगिक सम्मेलन, जिसका विषय था 'ट्रेसेबिलिटी, स्पीड एंड ट्रस्ट - लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्टर क्वालिटी एश्योरेंस', 13 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, क्यूए संगठन, रक्षा शिपयार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और प्रमुख निजी उद्योग साझेदारों का वरिष्ठ नेतृत्व एक ही मंच पर टेक्नोलॉजी-ड्रिवन क्वालिटी एश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए भविष्य के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए एक साथ आया।

सम्मेलन ने रक्षा निर्माण मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया को फिर से परिभाषित करने में डिजिटल टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव भूमिका पर जोर दिया। चर्चा उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक किसी उत्पाद की यात्रा के हर चरण पर नजर रखने, प्रक्रियात्मक समय सीमा को कम करने, निरीक्षण और प्रमाणन में पारदर्शिता बढ़ाने और गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों और उद्योग के बीच विश्वास को बढ़ावा देने वाला एक रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क बनाने पर फोकस थी। चचाओं में यह साफ आम सहमति दिखी कि कॉम्प्लेक्स शिपबिल्डिंग और डिफेंस प्रोडक्शन प्रोग्राम में स्पीड, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी पाने के लिए डिजिटल टूल्स, डेटा-सेंट्रिक मेथडोलॉजी और कोलेबोरेटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क को जोड़ना जरूरी है।

इस कार्यक्रम का एक बड़ा नतीजा इंडियन नेवल एंड मरीन इंडस्ट्री - ए कैपेबिलिटी कैटलॉग का रिलीज होना था। यह एक बड़ा कलेक्शन है जिसका मकसद देसी इंडस्ट्रियल क्षमताओं को सुव्यवस्थित दृश्यता देना और सर्विसेज और घरेलू निर्माण इकोसिस्टम के बीच मजबूत जुड़ाव को आसान बनाना है। कॉम्बैट सिस्टम और सेंसर के इंटीग्रेटेड डेटा मैनेजमेंट के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन मॉडल पर जॉइंट सर्विस गाइडलाइंस का ऐलान, स्टेकहोल्डर्स के बीच टेक्निकल और क्वालिटी डेटा के स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरऑपरेबिलिटी और बिना रुकावट डिजिटल एक्सचेंज की दिशा में एक अहम पड़ाव था। पात्र औद्योगिक साझेदारों को उनके प्रमाणित गुणवत्ता प्रदर्शन के लिए ग्रीन चैनल स्टेटस देना और सेल्फ-सर्टिफिकेशन देना, एक भरोसे पर आधारित, परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम की ओर एक प्रोग्रेसिव बदलाव को दिखाता है जो निरंतरता, विश्वसनीयता और प्रक्रिया परिपक्वता का प्रतिफल देता है।

तकनीकी सत्र में जहाज निर्माण के लिए डिजिटल क्यूए, तेजी से बदलते औद्योगिक माहौल में पॉलिसी कम्प्लायंस, और नौसेना जहाज निर्माण में गुणवत्ता आश्वासन चुनौतियों और स्पेयर्स के लिए रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर पर गहरी और आगे की सोच वाली चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने व्यावहारिक अनुभव, सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियां और नई जरूरतें शेयर कीं, जिससे आइडियाज का अच्छा लेन-देन हुआ और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक्शनेबल रास्तों की पहचान हुई। बातचीत में रियल-टाइम डेटा विज़िबिलिटी, इंटीग्रेटेड इंस्पेक्शन प्लानिंग, एक जैसा डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क-बेस्ड सर्टिफिकेशन मॉडल और डिजाइन स्टेज से लेकर क्वालिटी प्लानिंग में इंडस्ट्री की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया।

इंडियन नेवी के चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल बी शिवकुमार और अन्य वरिष्ठ लोगों ने अपने भाषण में भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बदलते प्रकृति और टेक्नोलॉजी में हो रही तरक्की, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम और नेटवर्क-सेंट्रिक ऑपरेशन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली की जरूरत पर जोर दिया। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि गुणवत्ता आश्वासन अब कोई आखिरी कार्य नहीं है, बल्कि डिजाइन, प्रोडक्शन, टेस्टिंग और लाइफसाइकल सपोर्ट में शामिल एक लगातार चलने वाली, टेक्नोलॉजी सक्षम प्रक्रिया है। क्यूए प्रक्रिया को आत्मनिर्भर भारत के नेशनल विजन के साथ जोड़ने और काबिल इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए भरोसे पर आधारित कम्प्लायंस माहौल बनाने के महत्व पर भी खास तौर पर जोर दिया गया।

स्टार्टअप इंडिया ने 2.07 लाख उपक्रमों को मान्यता दी, 21.9 लाख नौकरियां पैदा कीं; सरकार ने फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए फंडिंग बढ़ाई

सरकार ने बीआरएपी, जन विश्वास, 80-आईएसी लाभ और ईएसओपी टीडीएस राहत के जरिए स्टार्टअप्स के लिए कर राहत को आसान बनाया, और बढ़ाया

(जीएनएस)।

स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की पहल है। 31 दिसंबर 2025 तक, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा कुल 2,07,135 एंटिटीज को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता दी गई है, और ऐसे स्टार्टअप्स ने 21.9 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां सर्जित की हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स और ऐसे स्टार्टअप्स द्वारा सर्जित की गई नौकरियों की वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-क में दी गई हैं।

स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत सरकार तीन फ्लैगशिप स्कीम लागू कर रही है, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस), और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस)। ये स्कीम अलग-अलग क्षेत्र के स्टार्टअप्स को उनके बिजनेस चक्र के अलग-अलग चरण पर फंडिंग के अवसर देती हैं।

एफएफएस को उपक्रम पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है और इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) चलाता है। यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड्स (एआईएफ) को पूंजी देता है, जो बदले में इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक, इस योजना के अंतर्गत समर्थित एआईएफ ने 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,371 चुने हुए स्टार्टअप्स में 25,547.98 करोड़ रुपये निवेश किए हैं। एफएफएस के तहत समर्थित एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में निवेश की गई राशि का वर्ष-दर-वर्ष विवरण अनुलग्नक-क्क में दिया गया है। ऐसे समर्थित स्टार्टअप्स ने 2 लाख से ज्यादा नौकरियां सर्जित की हैं।

एसआईएसएफएस इनक्यूबेटर के जरिए सीड स्टेज स्टार्टअप को ग्रांट, कन्वर्टिबल डिबेंचर या डेट या डेट-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट के रूप में वित्तीय मदद देता है। एसआईएसएफएस 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ है। 31 दिसंबर 2025 तक, स्कीम के तहत चुने गए इनक्यूबेटर ने 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 3,271 स्टार्टअप को 590.93 करोड़ रुपये की फंडिंग को मंजूरी दी है। ऐसे सपोर्टेड स्टार्टअप ने 22,600 से ज्यादा नौकरियां सर्जित की हैं।

सीजीएसएस को पात्र फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए स्टार्टअप्स को क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के बदले निर्धारित सीमा तक गारंटी देकर डेट फंडिंग देने के लिए लागू किया गया है। सीजीएसएस को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड चलाती है और यह 1 अप्रैल 2023 से चालू हो गया है। 31 दिसंबर 2025 तक, 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीजीएसएस के तहत स्टार्टअप बॉरोअर्स को लगभग 808.18 करोड़ रुपये के 334 ऋण की गारंटी दी गई है। ऐसे सपोर्टेड स्टार्टअप्स ने 23,700 से ज्यादा नौकरियां सर्जित की हैं।

एफएफएस और एसआईएसएफएस योजनाओं के लिए प्रभाव आकलन अध्ययन किए गए है। योजनाओं के प्रभाव आकलन के अनुसार, सपोर्टेड स्टार्टअप्स ने राजस्व और रोजगार सर्जन जैसे आर्थिक क्षेत्रों में सुधार की रिपोर्ट दी है। इसके अलावा, निवेशकों के क्षमता निर्माण को इनेबल किया गया है, और अलग-अलग क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया गया है।

विनियामक अनुपालन को आसान बनाने और स्टार्टअप्स को कर लाभ देने के लिए किए गए सरकार के उपाय:

पूरे देश में विनियामक अनुपालन को आसान बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत कई पहल की हैं, जिसमें बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी), बिजनेस-रेडी असेसमेंट, जन विश्वास और बिजनेस और नागरिकों पर अनुपालन का बोझ कम करना, और सेवाओं के लिए प्रशासनिक लागत के मामले में दिक्कत वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनमें सुधार करने के लिए कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन (सीओआर) अभ्यास शामिल है। केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश खुद की पहचान करने के अभ्यास में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिससे अलग-अलग अनुपालन को सफलतापूर्वक कम किया जा रहा है।

इसके अलावा, सरकार ने स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस के लिए कर से जुड़े अलग-अलग लाभ पाने के लिए कई पहल, नीतिगत उपाय और सुधार किए हैं। इनमें आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80-क्कअ के तहत लाभ से जुड़ी कटौती, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान (ईएसओपी) से जुड़ी आय के मामले में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को टालना, नुकसान को आगे बढ़ाने और सेट-ऑफ करने में छूट, और एलिजिबल इनक्यूबेटर में मौजूद उद्यमों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में छूट इत्यादि शामिल हैं।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार, जीएसटी के तहत सरकार ने आम नीतिगत उपाय किए हैं। विवरण अनुलग्नक-क्कक में दिया गया है।

इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अनुसार, स्टार्टअप्स को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कुछ अनुपालन में छूट/रियायत दी गई है। विवरण अनुलग्नक -क्क में दिया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

2025 में 7 लाख से अधिक नोटिस, 5.6 लाख प्रतिबंध: स्पैम टेलीमार्केटर्स पर टीआरएआई की सख्ती बढ़ी

डीएनडी ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ताओं द्वारा 17 लाख से अधिक स्पैम शिकायतें दर्ज की गईं

टीआरएआई के यूसीसी प्रवर्तन ढांचे के तहत लगभग 90,000 बार-बार उल्लंघन करने वालों पर छह महीने तक का विस्तारित संचार प्रतिबंध लगाया गया

(जीएनएस)।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने वर्ष 2025 के लिए अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के प्रवर्तन और डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) प्रणाली के तहत उपभोक्ता जुड़ाव पर अपना वार्षिक अपडेट जारी किया है, जिसमें स्पैम टेलीमार्केटिंग के खिलाफ नियामक कार्रवाई में महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।

वर्ष 2025 के दौरान, यूसीसी मानदंडों का उल्लंघन करने वाले अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) को 7,31,120 नोटिस जारी किए गए। प्रगतिशील प्रवर्तन उपायों के तहत, 4,73,075 संस्थाओं पर एक महीने के लिए संचार प्रतिबंध लगाए गए, जबकि 89,936 बार-बार उल्लंघन करने वालों पर छह महीने के लिए संचार प्रतिबंध लगाए गए। इसके अतिरिक्त, लगातार नियमों का पालन न करने के कारण वर्ष के दौरान 1,84,482 दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काट दिया गया। कुल मिलाकर, अगस्त 2024 से अब तक 21.05 लाख से अधिक दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काटा जा चुका है, जो लगातार स्पैम नेटवर्क पर अंकुश लगाने और दूरसंचार प्रणाली में अनुपालन को मजबूत करने के लिए किए जा रहे गहन प्रयासों को दशार्ता है।

स्पैम की रिपोर्टिंग के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के निरंतर प्रयासों से प्रवर्तन कार्रवाई को समर्थन मिल रहा है। 2025 में, सभी चैनलों के माध्यम से कुल 31.09 लाख यूसीसी शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 17.06 लाख शिकायतें - आधे से अधिक - डीएनडी एप्लिकेशन के माध्यम से जमा की गईं, जो अवांछित संचार की रिपोर्टिंग में उपभोक्ताओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करती हैं।

इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, टीआरएआई के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने कहा:

ह्लटीआरएआई के 2025 के प्रवर्तन प्रयास इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि उपभोक्ताओं को अवांछित वाणिज्यिक संचार पर नियंत्रण में स्पष्ट सुधार का अनुभव होना चाहिए। डीएनडी प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई भागीदारी ने उल्लंघनों की तेजी से पहचान करने और लगातार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिक निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम बनाया है।ह्व

मासिक आंकड़ों से पता चलता है कि पूरे वर्ष पंजीकृत टेलीमार्केटरों के खिलाफ शिकायतों की तुलना में अपंजीकृत टेलीमार्केटरों के खिलाफ शिकायतों की संख्या कहीं अधिक रही। यह प्रवृत्ति नियामक ढांचे से बाहर काम करने वाली अनधिकृत और गैर-अनुपालनकारी संस्थाओं को लक्षित करने पर टीआरएआई के फोकस को और मजबूत करती है।

टीआरएआई ने दोहरी रणनीति अपनाई है, जिसके तहत पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वैध, सहमति-आधारित वाणिज्यिक संचार को सक्षम बनाया जा रहा है, साथ ही साथ अपंजीकृत संस्थाओं से अवांछित संचार को रोकने के लिए डीएलटी (ब्लॉकचेन) आधारित पंजीकरण, एआई-आधारित स्पैम पहचान, निर्दिष्ट संख्या श्रृंखला का अनिवार्य उपयोग, मजबूत शिकायत तंत्र और गैर-अनुपालन करने वाले प्रेषकों का डिस्कनेक्शन जैसे नियामक, तकनीकी और प्रवर्तन उपायों को भी लागू किया जा रहा है।

डीएनडी इकोसिस्टम के उपयोग में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। डीएनडी ऐप इंस्टॉलेशन में 2025 में साल-दर-साल 84.43% की वृद्धि हुई, जिससे कुल इंस्टॉलेशन की संख्या 28.08 लाख हो गई, जबकि 2024 में यह 15.22 लाख थी।

उपभोक्ताओं द्वारा अधिक रिपोर्टिंग और प्रवर्तन तंत्रों को मजबूत करने के संयोजन से उल्लंघनकताओं की तेजी से पहचान और अधिक निर्णायक नियामक कार्रवाई संभव हो पाई है।

लखनऊ में मांझे की चपेट में आने से कटी बाइक सवार युवक की गर्दन, लगे छह टांके; कार्रवाई की मांग

(जीएनएस)।

लखनऊ। राजधानी में मांझे से लोगों के घायल होने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते बुधवार को धारदार मांझे की चपेट में आने से दुबग्गा निवासी 30 वर्षीय मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव मो.शोएब की मौत हो गई। एक सप्ताह में लगभग आधा दर्जन लोग मांझे से घायल हो गए। शुक्रवार दोपहर भी मांझे के चलते बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने गर्दन पर छह टांके लगाए हैं।

इंदिरानगर निवासी ध्रुव नारायण पांडेय शुक्रवार को दोस्त के साथ बाइक से बंगला बाजार गए थे। वापसी के दौरान कैंट इलाके में अचानक से उनके गले में धारदार मांझा आकर फंस गया। वह कुछ समझ पाते इसके

पहले ही मांझे से गर्दन में गहरा घाव हो गया। किसी तरह उन्होंने बाइक रोकी। इसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उनके गले में छह टांके लगाए गए। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। ध्रुव ने पुलिस से मांझे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कैंट थाना प्रभारी गुरप्रीत कौर ने बताया कि थाने पर घटना को लेकर कोई तहरीर नहीं दी गई है। अगर तहरीर मिलती है तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी।

छापेमारी का भी नहीं दिख रहा असर

शोएब की मौत के बाद पुलिस ने वृहद स्तर पर अभियान चलाकर जानलेवा मांझे की बिक्री, इस्तेमाल और परिवहन पर नकेल कसने के लिए कई इलाकों में छापेमारी की थी। मांझा लेकर जा रहे गोमती नगर विस्तार निवासी दो युवकों को जेल भी भेजा जा चुका है। इसके बावजूद मांझे पर लगाम नहीं लग पा रही है। यह घटनाएं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर रही हैं।

जमीन न मिलने से बरेली की बड़ी स्वास्थ्य परियोजना लखनऊ शिफ्ट

(जीएनएस)।

बरेली। जिले में प्रस्तावित क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक और एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला के लिए स्थानीय प्रशासन वर्ष 2021 से 2026 तक जमीन ही नहीं उपलब्ध करा पाया। इस वजह से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत बरेली में लगने वाली बड़ी परियोजना को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। यह जानकारी आंवला के सपा सांसद नीरज मौर्य ने शुक्रवार को दी।

सपा सांसद ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा था। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 75 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और 74 गहन चिकित्सा ब्लॉकों की स्थापना प्रस्तावित है। बरेली में जमीन की अनुपलब्धता के कारण परियोजना को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बरेली क्षेत्र में मलेरिया, डेंगू व जापानी एंसेफलाइटिस, एंटरोवायरस, स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पाइरोसिस और सेरेब्रल मलेरिया की निगरानी के लिए एकीकृत रोग निगरानी पोर्टल के उपयोग का तो उल्लेख किया। मगर, यह स्पष्ट नहीं किया कि तराई क्षेत्र में बढ़ते संक्रमण के जोखिम को देखते हुए स्थानीय स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था कितनी प्रभावी है।

डायलिसिस और कीमोथेरेपी सेवाओं के विस्तार को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह राज्यों की मांग और संसाधनों के आकलन पर निर्भर करता है। सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी जरूरी योजनाओं के लिए भी अगर जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती है तो यह प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन की विफलता है। वह प्रदेश सरकार से मिलकर परियोजना को बरेली में ही स्थापित कराने का प्रयास करेंगे।

लखनऊ में वकील से दुष्कर्म का आरोप:शादी से इनकार पर दी जान से मारने की धमकी; घर में घुसकर जबरन किया दुष्कर्म

लखनऊ के गाजीपुर-इंदिरा नगर इलाके में एक युवती ने युवक पर दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता पेशे से अधिवक्ता है और 2023 से उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रही है।

इंस्टाग्राम से शुरू हुई बातचीत

पीड़िता के अनुसार जुलाई 2024 में उसकी पहचान इंस्टाग्राम के जरिए सैय्यद मो. मुजम्मिल इमाम (निवासी सर्वोदय नगर) से हुई। शुरूआत में उसने बात करने से मना किया, लेकिन लगातार संपर्क करने के बाद अक्टूबर 2024 के अंतिम सप्ताह से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई।

घर में घुसकर दुष्कर्म का आरोप

प्रार्थना पत्र के मुताबिक 9 नवंबर 2025 को आरोपी अपनी मां के साथ पीड़िता के मकान मालिक से मिलने आया था। इसी दौरान मौका पाकर वह उसके कमरे में घुस गया और जबरन दुष्कर्म किया। होश आने पर पीड़िता ने विरोध जताया तो आरोपी ने शादी का वादा किया। आरोप है कि आरोपी की मां से फोन पर बात होने पर उन्होंने भी बदनामी का हवाला देते हुए मामला शांत रखने और शादी कराने का आश्वासन दिया।

शादी से इनकार, फिर धमकी

पीड़िता का कहना है कि बाद में जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी और उसके परिवार ने सुन्नी-शिया मतभेद का हवाला देकर शादी से इनकार कर दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि आरोपी ने कहा कि ज्यादा उड़ी तो लखनऊ में पता नहीं चलेगा। पुलिस के मुताबिक मामले में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

आगरा एक्सप्रेस-वे से आ रहे हैं तो ध्यान दें! लखनऊ के 11 प्रमुख चौराहों पर डायवर्जन होगा लागू, ये रहा पूरा रूट प्लान

महाशिवरात्रि के अवसर पर लखनऊ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने डायवर्जन व्यवस्था लागू की है। यह व्यवस्था शनिवार रात 12 बजे से महाशिवरात्रि के लिए लखनऊ में यातायात डायवर्जन लागू। शनिवार रात 12 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक प्रभावी। आपातकालीन वाहनों को डायवर्जन से छूट मिलेगी।

लखनऊ। महाशिवरात्रि को लेकर शहरों के प्राचीन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। इसे लेकर यातायात पुलिस ने डायवर्जन व्यवस्था लागू की है। शनिवार की रात 12 बजे से लागू हुई व्यवस्था कार्यक्रम की समाप्ति तक जारी रहेगी। पुलिस उपायुक्त यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि डायवर्जन के दौरान आपात कालीन वाहनों को इससे छूट दी जाएगी।

यह रहेगा बदलाव

– डालीगंज इक्का तांगा स्टैंड चौराहे से सामान्य यातायात मनकामेश्वर मंदिर बंधा रोड होते हुए हनुमान सेतु मंदिर तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा। यह यातायात आइटी चौराहा या डालीगंज पुल होकर अपने गंतव्य को जाएगा।

– मनकामेश्वर मंदिर ढाल तिराहे से किसी प्रकार का यातायात मनकामेश्वर मंदिर की ओर नहीं जा सकेगा।

– नदवा बंधा तिराहे से मनकामेश्वर मंदिर की ओर यातायात नहीं जा सकेगा बल्कि यह यातायात आइटी चौराहा, सुभाष चौराहा होकर जाएगा।

– बुद्धेश्वर चौराहे की तरफ से बुद्धेश्वर मंदिर की ओर सभी वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे। यह यातायात बुद्धेश्वर ओवरब्रिज के ऊपर से भेजा जाएगा।

– पाल तिराहे की तरफ से बुद्धेश्वर चौराहे की ओर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

– आगरा एक्सप्रेस वे की तरफ से सीतापुर रोड की तरफ जाने वाले सभी वाहन मोहान मोड़ से तिकोनिया तिराहा और बुद्धेश्वर ओवरब्रिज के ऊपर से होते हुए जाएंगे।

– दुबग्गा तिराहे की तरफ से तिकोनिया तिराहा/बाराबिरवा चौराहे की ओर जाने वाले वाहन बुद्धेश्वर ओवरब्रिज के ऊपर से जाएंगे।

– बाराबिरवा चौराहा/मानकनगर की तरफ से सीतापुर रोड/दुबग्गा की ओर जाने वाले वाहन बुद्धेश्वर ओवरब्रिज के ऊपर से जाएंगे।

– नहर पुल चौराहा (काकोरी मोड़) से सामान्य यातायात बुद्धेश्वर चौराहे से दुबग्गा चौराहा और तिकोनिया तिराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। यह यातायात नहर पुल चौराहा (काकोरी मोड़) से पारा थाना के सामने से होते हुए तिकोनिया तिराहा, बुद्धेश्वर ओवरब्रिज के ऊपर से होते हुए भेजा जाएगा।

– बालागंज चौराहे से सामान्य यातायात कोनेश्वर मन्दिर/कोनेश्वर चौराहा होते हुये घंटाघर तिराहा/ चौक चौराहा/चरक चौराहे की ओर नहीं जा सकेगा। यह यातायात बालागंज चौराहे से बांये हरीनगर होते बंधा ग्रीन कारिडोर मार्ग, कुड़ियाघाट होते हुए जाएगा।

– चरक चौराहे से सामान्य यातायात चौक चौराहा/कोनेश्वर मन्दिर/कोनेश्वर चौराहा होते हुए बालागंज चौराहे की ओर नहीं जा सकेगा, यह यातायात चरक चौराहा, रूमी गेट चौराहा, कुड़ियाघाट, बंधा ग्रीन कारिडोर मार्ग, हरीनगर होते हुए भेजा जाएगा।

उ.प्र. रेरा ने 15 रियल एस्टेट परियोजनाओं को दी स्वीकृति, लखनऊ सहित इन 7 जिलों में फ्लैट-विला और प्लॉट खरीदने का मौका

यूपी रेरा ने शुक्रवार को लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा और मुरादाबाद की 3069 करोड़ रुपये की लागत वाली 15 रियल एस्टेट परियोजनाओं को

(जीएनएस)।

लखनऊ। यूपी रेरा ने शुक्रवार को लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा और मुरादाबाद की 3069 करोड़ रुपये की लागत वाली 15 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में 3,923 आवासीय, व्यावसायिक एवं मिश्रित उपयोग की इकाइयों का विकास किया जाएगा, जिनमें फ्लैट, विला, प्लाट और व्यावसायिक दुकानें शामिल हैं। यह निर्णय यूपी रेरा की 195वीं प्राधिकरण बैठक में अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में लिया गया।

लखनऊ की दो आवासीय परियोजनाओं को 328.04 करोड़ के निवेश के साथ स्वीकृति दी गई है, जिनमें कुल 414 इकाइयां विकसित की जाएंगी। गौतमबुद्ध नगर को सर्वाधिक चार परियोजनाओं की

स्वीकृति मिली है। इनमें दो आवासीय परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें 396 इकाइयों का निर्माण होगा, जबकि दो व्यावसायिक परियोजनाओं में 433 इकाइयों का विकास किया जाएगा। इन चारों परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 1,092.19 करोड़ रुपये है।

आगरा में 133.17 करोड़ रुपये की लागत से एक मिश्रित उपयोग परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 432 इकाइयां शामिल हैं। गाजियाबाद में तीन आवासीय परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 1,119.22 करोड़ रुपये है और इनमें 1,193 आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी। अलीगढ़ में 243.62 करोड़ रुपये की लागत से एक आवासीय परियोजना को स्वीकृति मिली है, जिसमें 512 इकाइयों का विकास प्रस्तावित है।

मथुरा में 40.61 करोड़ रुपये की लागत से एक आवासीय एवं एक व्यावसायिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 347 इकाइयां शामिल हैं। वहीं ,मुरादाबाद में 112.25 करोड़ रुपये की लागत से दो आवासीय परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें 196 इकाइयों का विकास किया जाएगा। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि 3,069.10 करोड़ रुपये का यह निवेश न केवल निर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा।

स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल बनेंगे लखनऊ के 691 आदर्श गांव, मात्र 1 रुपये में होगा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन

सरकार ने लखनऊ मंडल के 9000 से अधिक गांवों को मॉडल बनाने की योजना शुरू की है, जिसमें लखनऊ के 691 गांव शामिल हैं।

(जीएनएस)।

लखनऊ। विकास के साथ स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ सरकार ने मॉडल गांव की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। लखनऊ के 691 गावों सहित मंडल के नौ हजार से अधिक गांव चिह्नित किए गए हैं।

लखनऊ में शत प्रतिशत गांवों को मॉडल गांव बनाने की दिशा में काफी प्रगति हो चुकी है अन्य जिलों में दूसरे चरण के सत्यापन के लिए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने निर्देश दिए हैं।

भारत सरकार स्वच्छता को लेकर गंभीरता से काम कर रही है, जिसका असर गांवों तक नजर आ रहा है। जिला पंचायत राज विभाग ने इन गांवों के लिए एक विस्तृत ब्लू प्रिंट तैयार

किया है। योजना के तहत प्राथमिकता के तौर पर स्वच्छता और बेहतर कूड़ा प्रबंधन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

गांवों में स्वच्छता के लिए आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) स्थापित किए जा रहे हैं। ई-रिक्शा के जरिए डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्र किया जा रहा है, जिसे बाद में आरआरसी सेंटर पर लाकर सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग किया जा रहा है। सूखा कचरा जहां कबाड़ियों को बेचा जाएगा, वहीं गीले कचरे से जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ और पर्यावरणीय दृष्टि से सस्टेनेबल बनाना है। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन सेवा के लिए ग्रामीणों से एक रुपये प्रतिदिन का शुल्क लिया जाएगा, जबकि निजी प्रतिष्ठान और स्कूलों से पचास से सौ रुपये प्रतिमाह तक का शुल्क निर्धारित किया गया है।

इस राशि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए किया जाएगा। लखनऊ की बात करें तो यहां पर अधिकांश गावों में एक रुपये शुल्क पर ही काम हो रहा है। प्रतिदिन एक रुपये के शुल्क पर घरों से कूड़ा एकत्रित कर उसका निस्तारण हो रहा है।

खुद लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी गांवों में जाकर वहां वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। पिछले दिनों समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने शतप्रतिशत गांवों को माडल गावों में तब्दील करने के निर्देश दिए थे।

सरकार फर्जी, झूठी और भ्रामक सामग्री से उत्पन्न बढ़ते जोखिमों से अवगत है

(जीएनएस)।

एक ओर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है वहीं, दूसरी ओर सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी, झूठी और भ्रामक सूचनाओं से उत्पन्न बढ़ते खतरों से भी अवगत है।

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के भाग-क्क्क में ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए प्रावधान हैं। इसमें अन्य बातों के अलावा, प्रकाशकों को वर्तमान में लागू कानून द्वारा निषिद्ध ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं करनी चाहिए।

इस संहिता के अनुसार, उन्हें नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशानिदेशों के आधार पर सामग्री को आयु-आधारित 5 श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा। संहिता में यह भी प्रावधान है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए आयु-अनुचित सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करेंगे। नियमों में, अन्य बातों के अलावा, समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता का प्रावधान है। इसमें केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत पत्रकारिता आचरण के मानदंडों का पालन शामिल है। कार्यक्रम संहिता और पत्रकारिता आचरण के मानदंडों में, अन्य बातों के अलावा, प्रकाशकों को गलत, भ्रामक, झूठी या अधूरी सच्चाई वाली सामग्री प्रसारित नहीं करनी चाहिए।

केंद्र सरकार से सम्बंधित फर्जी खबरों की जांच के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के अंतर्गत नवंबर 2019 में एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है। सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अधिकृत स्रोतों से खबरों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद, एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी प्रकाशित करती है। निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों और विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्मित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन करना अनिवार्य है। इन संहिताओं में इन टीवी चैनलों पर सामग्री को विनियमित करने के लिए कई मापदंड शामिल हैं। कार्यक्रम संहिता में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर झूठे और भ्रामक संकेत और अर्ध-सत्य वाला कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए।

सूचना एवं प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने राज्यसभा में श्री तेजवीर सिंह द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

नीति आयोग ने 'व्यापार निगरानी तिमाही' का छठा संस्करण जारी किया

(जीएनएस)।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने 13 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) के लिए ह्व्यापार निगरानी तिमाहीह्व प्रकाशन का नवीनतम संस्करण जारी किया। यह प्रकाशन नीति आयोग के सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में जारी किया गया।

जिस समय वैश्विक व्यापार की वृद्धि की गति धीमी हुई है, यह प्रकाशन वैश्विक और घरेलू व्यापार रुझानों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हालांकि विश्व व्यापार में धीमी प्रगति के बावजूद सकारात्मक रुख में है। वस्तुओं की तुलना में सेवाओं का प्रदर्शन बेहतर रहा है तथा विकासशील क्षेत्र प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। इस तिमाही के संस्करण का विषयगत खंड भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पर केंद्रित है। इसमें वैश्विक मांग के स्वरूप, मोबाइल फोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इसके घटकों में भारत के निर्यात विस्तार, और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ़ करने, मूल्य संवर्धन को गहरा करने और निर्यात प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु आवश्यक संरचनात्मक बाधाओं, नीतिगत अंतरालों और प्राथमिक हस्तक्षेपों की पहचान की गई है।

यह विश्लेषण रेखांकित करता है कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के व्यापार विस्तार को गति देने में निर्यात की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सेवाओं और वस्तु निर्यात में लगभग 8.5 प्रतिशत की सशक्त वृद्धि दर्ज की गई, जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों के आयात वृद्धि से अधिक रही। संरचनात्मक स्तर पर, यह संस्करण विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि को रेखांकित करता है, जो वर्ष 2005 से लगभग चार गुना बढ़ चुका है और अब वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी उत्तरोत्तर अधिक हो रही है। क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं और नए व्यापार गलियारों के माध्यम से भारत की व्यापार दिशा इस 'ग्लोबल साउथ' संतुलन के साथ अधिकाधिक संरेखित होती जा रही है। यह संस्करण ई-कॉमर्स की बढ़ती भूमिका को भी भविष्य के निर्यात वृद्धि के प्रमुख माध्यम के रूप में रेखांकित करता है। भारत वर्तमान में विश्व के शीर्ष छह ई-कॉमर्स बाजारों में शामिल है, जहाँ ऑनलाइन खुदरा में इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी लगभग आधी है। यद्यपि ई-कॉमर्स निर्यात अभी सीमित स्तर पर है, किंतु इसमें तेजी से विस्तार की संभावना है और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक ये भारत के वस्तु निर्यात में 20-30 प्रतिशत तक योगदान दे सकता है। यह वृद्धि लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, नियामकीय सुगमता तथा एमएसएमई की बढ़ती भागीदारी से समर्थित होगी।

इस तिमाही के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर भी विशेष फोकस है जो भारत के विनिर्माण और निर्यात का स्वरूप बदलने का एक प्रमुख आधार बनकर उभरा है। यह अब भारत के निर्यात में दूसरा सबसे बड़ा मद है। यह क्षेत्र प्रौद्योगिकी-आधारित होने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रक्षा और डिजिटल सेवाओं जैसे उद्योगों से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिससे यह औद्योगिक विकास का एक प्रभावी गुणक सिद्ध होता है।

वित्त वर्ष 2024-25 में मिलावट के खिलाफ उठाए गए कदम

वित्त वर्ष 2024-25 में दूध और दूध उत्पादों के 33,405 नमूनों का विश्लेषण किया गया; 12,780 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए वित्त वर्ष 2024-25 में खाद्य व्यवसायियों के खिलाफ 12,057 मामले दर्ज किए गए

(जीएनएस)।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थ तैयार करने, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है। एफएसएसएआई विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने और समग्र समन्वय सुनिश्चित करने के लिए और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित मानकों, सीमाओं और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के माध्यम से पूरे वर्ष दूध और दूध उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए नियमित रूप से स्थानीय/लक्षित विशेष प्रवर्तन एवं निगरानी अभियान, निरीक्षण और नमूनाकरण गतिविधियां संचालित करता है। मानकों से कोई विचलन या खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम (एफएसएसआर) का उल्लंघन के दोषी खाद्य व्यवसायियों (एफबीओ) पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार दंडात्मक उपायों सहित नियामक कार्रवाई की जाती है।

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) उभरते मुद्दों, नीति सुधारों और खाद्य सुरक्षा कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करने पर केंद्रित विचार-विमर्श को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमित अंतराल पर केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठकें आयोजित करता है। केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से, प्रवर्तन तंत्र की स्थिति की समीक्षा करने और खाद्य सुरक्षा उपायों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं।